भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
भोपालपानी उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या 732 मुख्य खनिज– / 10सोपस्टोन / बागे0 / खनन / भू0खनि0ई0 / 2019–20 दिनांक 20 मई, 2023

कार्यालय –ज्ञाप

श्री रमेश चन्द्र पुत्र श्री श्याम दत्त निवासी ग्राम खोलियागांव, तहसील व जिला बागेश्वर के पक्ष में औद्योगिक विकास अनुभाग–1 उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 984 / VII-A-1 / 2021–1(11) / 2021 दिनांक 06 अक्टूबर, 2021 के द्वारा जनपद व तहसील बागेश्वर के ग्राम खोलिया में कुल 4.502 है0 भूमि में खनिज सोपस्टोन के खनन पट्टा का आशय पत्र (Letter of Intent) स्वीकृत किया गया है। आशय पत्र पर स्वीकृत एवं सीमांकित 4.502 है0 क्षेत्रफल की खनन योजना जो कि आर0क्यू0पी0 श्री संदीप चौधरी पंजीकरण संख्या आर0क्यू0पी0 / यू0के0जी0एम0यू0 / No013 / 2019 के द्वारा तैयार की गयी को जिला खान अधिकारी बागेश्वर पत्र संख्या 621 / भू0खनि0ई0 / खनन योजना / जन0बागे0 / 2022–23 दिनांक 19.12.2022 के माध्यम से इस कार्यालय को प्रेषित खनन योजना एवं उत्तरोत्तर खान बन्द करने की योजना कार्यालय ज्ञाप 844 / VII-1 / 2015 / 68–ख / 2015 दिनांक 31 जुलाई , 2015 यथा संशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्या 1589 / VII-1 / 2015 / 68–ख / 2015 दिनांक 07 अक्टूबर 2015 द्वारा जारी उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति–2015 के प्रस्तर –3(दो)(1) एवं उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली 2001 के नियम 34 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करने हुए कार्यालय आदेश संख्या 2378 / खनन / मा0प्ला0 / भू0खनि0ई0 / 14 / 2022–23 दिनांक 24 सितम्बर, 2022 के द्वारा गठित समिति की संस्तुति दिनांक 25.03.2023 के क्रम में उक्त खनन योजना एवं उत्तरोत्तर खान बन्द करने की योजना को वैज्ञानिक, तकनीकी एवं पर्यावरण सुरक्षा के दृष्टिकोण से खनन संक्रियाओं मे सुनियोजित संचालन हेतु खनन कार्य सेमी मैक्नाइज्ड माइनिंग से बिना ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग के प्रथम वर्ष 13744 टन, द्वितीय वर्ष 14003 टन, तृतीय वर्ष 14938 टन, चतुर्थ वर्ष 15316 टन एवं पंचम वर्ष 18047 टन खनिज सोपस्टोन उत्पादन हेतु खनन योजना एवं उत्तरोत्तर खान बन्द करने की योजना का अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन किया जाता है:–

1. प्रस्तुत खनन योजना का अनुमोदन खनन पट्टे के पंजीकरण के दिनांक से आगामी 05 वर्ष की अवधि हेतु किया जा रहा है।
2. किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि दस्तावेज में दी गई, उपलब्ध कराई गई सूचनाए असत्य अथवा गलत ढंग से दर्शायी गई है, तो दस्तावेज का अनुमोदन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा।
3. खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 एवं उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली–2001 के अर्न्तगत अपेक्षित कोई सूचना / विषय वस्तु का संगुप्त रखना / छिपाना यदि पाया जाता है और उसके सुधार हेतु कोई प्रस्ताव भी नही दिया जाता है, तो खनन योजना एवं उत्तरोतर खान बन्द करने की योजना का अनुमोदन तुरन्त प्रभाव से वापस लेना माना जायेगा।
4. खनन कार्य एवंम खनिजों के खनिज अन्वेषण / खनिज भण्डारण / खनिज का आंकलन एवं सत्यापन अनुमोदित खनन योजना के अनुसार किया जाना होगा। अनुमेादित खनन योजना एवं एवं उत्तरोतर खान बन्द करने की योजना का अनुपालन न किये जाने की दशा में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 एवं उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली–2001 के अनुसार कार्यवाही अमल मे लायी जायेगी।
5. आवेदक द्वारा खनन पट्टा स्वीकृत से पूर्व मशीनीकृत माईनिंग हेतु रू0 2.00 लाख बैंक गारन्टी निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के पक्ष में मशीनीकृत हेतु प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
6. आवेदक द्वारा कार्यालय ज्ञाप संख्या 984 / VII-A-1 / 2021–1(11) / 2021 द्वारा निर्गत आशय पत्र (Letter of Intent) की शर्त संख्या –05 के अनुसार आवेदक द्वारा पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकारी की अधिसूचना का0आ0 2601 (अ) दिनांक 07 अक्टूबर, 214 के क्रम में जारी शासनादेश संख्या 1621 / VII-1 / 212–ख / 2014 दिनांक 17 दिसम्बर, 2014 के अनुसार पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त किया जाना होगा एवं तदनुसार पर्यावरणीय अनुमति की समस्त शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।
7. कार्यालय ज्ञाप संख्या 984 / VII-A-1 / 2021–1(11) / 2021 दिनांक 06 अक्टूबर 2021 के द्वारा निर्गत आशय पत्र की समस्त शर्तों का अनुपालन किया जाना होगा। आशय पत्र निर्गत दिनांक 06 अक्टूबर, 2021 से आगामी छः माह अर्थात 05.03.2022

तक की जानी थी । जिसमें वर्तमान तक लगभग 13 माह से अधिक का विलम्ब हो चुका है अगर शासन द्वारा उक्त आशय पत्र की अग्रेत्तर समयावधि नहीं बढायी जाती है तो यह खनन योजना स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।

8. यह खनन योजना अन्य किसी अधिनियम जो कि खान या क्षेत्र पर लागू होते है या समय–समय पर राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या अन्य किसी सक्षम द्वारा प्रख्यापित किये जाते है, को छोडकर अनुमोदित की जाती है।
9. यह खनन योजना वन (संरक्षण) अधिनियम–1980, वन संरक्षण नियमावली 1981 और अन्य सम्बन्धित अधिनियम और नियमावली, आदेश और दिशा निर्देश जो कि इस खनन पट्टे पर समय–समय पर दिये जाये लागू होगे।
10. अनुमोदित खनन योजना किसी भी प्रभावी माननीय न्यायालय, मा0 ट्रिब्यूनल एवं किसी प्रकार के अन्य न्यायालय आदि के आदेश एवं दिशा निर्देश के लागू होने को बाधित नही करती है।
11. इस खनन योजना एवं उत्तरोतर खान बन्द करने की योजना का अनुमोदन किसी भी न्यायालय के सक्षम क्षेत्राधिकार के किसी आदेश या निर्देश पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किया गया है।
12. प्रत्येक छमाई में खनन क्षेत्र की अनुमोदित खनन योजना के अनुसार आंकलन जिला खान अधिकारी भूतत्व एवं खनिकर्म को आंकलन आख्या प्रस्तुत की जानी होगी।
13. धात्विक खनन अधिनियम 1961 के अनुसार खदान सुरक्षा, खदान में कार्यरत श्रमिकों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य की सम्पूर्ण जिम्मेदारी पट्टाधारक की होगी।
14. खनन योजना एवं उत्तरोतर खान बन्द करने की योजना का निष्पादन/कियान्वयन निषेधाज्ञाओं/अधिसूचनाओं, आदि कोई हो तो के रिक्त होने के अधीन होगा।
15. आवेदक जिस खेत में कार्य करेगा उस खेत की सूचना सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/जिला खान अधिकारी, एवं सम्बन्धित तहसील के उपजिलाधिकारी के कार्यालय को जिस खेत में खनन हो रहा है के भूस्वामी से किये गये अनुबन्ध की छाया प्रति खनन कार्य प्रारम्भ करने के 15 दिन पूर्व प्रस्तुत करेगा।
16. भू–सदर्भित खनन पट्टा प्लान्स सम्मिश्रण उपरान्त भू–संदर्भित वैक्टोराइज्ड खसरा प्लान से पूरी तरह मेल होना चाहिए इसके त्रुटीपूर्ण होने की दशा में सम्बन्धित आर0क्यू0पी तथा आशयपत्र धारक जिम्मेदार होगें।
17. अनुमोदित खनन योजना की स्कैन प्रति सम्बन्धित जिलाधिकारी कार्यालय, जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, सम्बन्धित उपजिलाधिकारी एवं आवेदक को अभिलेखार्थ यथाशीघ्र प्रस्तुत करने का दायित्व सम्बन्धित आर0क्यू0पी0/आवेदक का होगा।

संलग्नक: खनन योजना की प्रति।

20/5/23
(एस0एल0पैट्रिक)
निदेशक।

732

पृष्ठांकन संख्याः /मुख्य खनिज–/78/बागे0/खनन/भू0खनि0ई0/2010–11 तददिनांकित ।
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. सचिव, खनन, उत्तराखण्ड शासन।
2. जिलाधिकारी, बागेश्वर।
3. सदस्य सचिव राज्यस्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) उत्तराखण्ड देहरादून।
4. सदस्य सचिव उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आई0टी0 पार्क देहरादून।
5. प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग बागेश्वर।
6. जिला खान अधिकारी, खनन, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, बागेश्वर।
7. श्री रमेश चन्द्र पुत्र श्री श्याम दत्त निवासी ग्राम खोलियागांव, तहसील व जिला बागेश्वर ।
8. श्री संदीप कुमार म0न0 500/14 शाकुन्तलम आवास विकास कॉलोनी, सर्कुलर रोड, मुजफ्फरनगर, उत्तरप्रदेश।

20/5/23
(एस0एल0पैट्रिक)
निदेशक।